

## ❖ फल पौध रोपण योजना

क्र.	योजना	विवरण																																
1	उद्देश्य	प्रदेश में फल पौध क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करना।																																
2	कार्यक्षेत्र	प्रदेश के संपूर्ण जिलों में।																																
3	चयनित फसलें	योजना में कृषकों को आम अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू, एवं अंगूर टिशुकल्चर पद्धति से उत्पादित अनार, स्ट्राबेरी एवं केला, संकर बीज से उत्पादित मुनगा, पपीता एवं नींबू फसलों पर अनुदान की पात्रता है।																																
4	स्वरूप	हितग्राही को कम से कम 1/4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर तक एक बार में अथवा खण्ड-खण्ड में रोपण पर अनुदान की पात्रता होगी। फलदार फसलों पर स्वयं के साधन से रोपण करने पर एवं बैंक ऋण पर भी प्रावधान अनुसार अनुदान देय होगा।																																
5	कृषक की पात्रता	सभी वर्ग के कृषक।																																
6	अनुदान की पात्रता	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 40-50 प्रतिशत अनुदान सहायता 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों में देय है। (राशि रूपये में)																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्रं.</th> <th rowspan="2">घटक</th> <th rowspan="2">अनुदान सहायता का प्रतिशत</th> <th colspan="2">(ड्रिप रहित)</th> <th colspan="2">(ड्रिप सहित)</th> </tr> <tr> <th>प्रति हे. इकाई लागत</th> <th>अनुदान सहायता (60:20:20)</th> <th>प्रति हे. इकाई लागत</th> <th>अनुदान सहायता (60:20:20)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>सामान्य दूरी</td> <td>40-50</td> <td>60000</td> <td>30000</td> <td>100000</td> <td>40000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>उच्च घनत्व</td> <td>40%</td> <td>100000</td> <td>40000</td> <td>150000</td> <td>60000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>अति उच्च घनत्व</td> <td>40%</td> <td>125000</td> <td>50000</td> <td>200000</td> <td>80000</td> </tr> </tbody> </table>	क्रं.	घटक	अनुदान सहायता का प्रतिशत	(ड्रिप रहित)		(ड्रिप सहित)		प्रति हे. इकाई लागत	अनुदान सहायता (60:20:20)	प्रति हे. इकाई लागत	अनुदान सहायता (60:20:20)	1	सामान्य दूरी	40-50	60000	30000	100000	40000	2	उच्च घनत्व	40%	100000	40000	150000	60000	3	अति उच्च घनत्व	40%	125000	50000	200000	80000
क्रं.	घटक	अनुदान सहायता का प्रतिशत				(ड्रिप रहित)		(ड्रिप सहित)																										
			प्रति हे. इकाई लागत	अनुदान सहायता (60:20:20)	प्रति हे. इकाई लागत	अनुदान सहायता (60:20:20)																												
1	सामान्य दूरी	40-50	60000	30000	100000	40000																												
2	उच्च घनत्व	40%	100000	40000	150000	60000																												
3	अति उच्च घनत्व	40%	125000	50000	200000	80000																												
7	हितग्राही चयन की प्रक्रिया	<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।</li> <li>योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा।</li> <li>हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिये।</li> <li>हितग्राही कृषक की रुचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किये जाने वाले फलों में होनी चाहिये।</li> <li>सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक-पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।</li> <li>कृषकों को नवीन भूमि पर अथवा खाद्यान फसलों के स्थान पर फलोद्यान विकसित करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।</li> </ol>																																
8	संपर्क	जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ ग्रा.उ.वि.अधि.																																
9	ऑनलाईन आवेदन	पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन <a href="http://www.mpfsts.mp.gov.in">www.mpfsts.mp.gov.in</a> पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।																																
10	आवेदन हेतु दस्तावेज	फोटो, आधार, खसरा नंबर/B1/वन पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र																																

